

Regarding need to address the problems being faced by in-service teachers due to mandatory Teachers Eligibility Test as a service condition-Laid

श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर (खीरी) : मैं सरकार का ध्यान अति महत्वपूर्ण विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सेवारत शिक्षकों के संदर्भ में 1 सितम्बर, 2025 के टीईटी निर्णय पर पुनर्विचार एवं विधायी हस्तक्षेप की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस निर्णय के अनुसार कक्षा एक से आठ तक कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए नियुक्ति की तिथि चाहे जो भी रही हो शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। इस निर्णय से प्रदेश सहित देश के लगभग 20 लाख शिक्षकों की सेवा, सुरक्षा, आजीविका और पदोन्नति पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। विदित है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा एन. सी. टी. ई. की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 के अंतर्गत वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को विधिक रूप से क्वालिफाई की श्रेणी में रखा गया था जबकि 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए निर्धारित अवधि में टीईटी उत्तीर्ण करना आवश्यक था। नवीन निर्णय में इन दोनों श्रेणियों के मध्य स्पष्ट विधिक अंतर की उपेक्षा की गई है। साथ ही यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 देश के विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न वर्षों में क्रियान्वित हुआ, जिसके कारण टीईटी की बाध्यता की प्रभावी तिथि भी अलग-अलग राज्यों में जारी राजपत्रों/नोडल एजेंसियों की अधिसूचनाओं के अनुसार अलग-अलग है। उत्तर प्रदेश में टीईटी के बाध्यता की प्रभावी तिथि 27 जुलाई 2011 है। इस हेतु आवश्यक है कि केंद्र सरकार आवश्यक विधिक और नीतिगत उपाय अपनाए, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत करना तथा आवश्यकता पड़ने पर संसद में संशोधन विधेयक लाकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित प्रावधानों में सुधार करना सम्मिलित हो। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में आरटीई अधिनियम एवं टीईटी की बाध्यता अलग तिथियों से प्रभावित हुई है। अतः राज्यगत और अधिसूचनाओं के आधार पर राज्यवार उपयुक्त कट ऑफ तिथि निर्धारित की जाए।